

FORM -B

[See rule 9 (3), (4), & (6)]

प्रकरण सं- 5/2019

कार्यालय विहित प्राधिकारी उपखण्ड अधिकारी जसवंतपुरा जिला जालोर
क्रमांक / राजस्व / संपरिवर्तन / 19 /

दिनांक:

संपरिवर्तन आदेश

ग्रामोत्थान सेवा संस्थान भीनमाल जिला-जालोर जरिये सचिव श्री शैतानसिंह पुत्र भीखसिंह जाति राजपूत के आवेदन पर खातेदारी अभिधृति में आधारित कृषि भूमि का राजस्थान भू-राजस्व (कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजन के लिये संपरिवर्तन) नियम 2007, संशोधित नियम दिनांक 06.10.2016 के नियम 9 के अधीन अकृषि प्रयोजन के लिये इसके द्वारा संपरिवर्तन किया जाता है, जिसकी विशिष्टिया नीचे दी गई है :-

1. आवेदन खातेदार अभिधारी का नाम, पिता/पति के नाम सहित पूरा पता :-	ग्रामोत्थान सेवा संस्थान भीनमाल जिला-जालोर जरिये सचिव शैतानसिंह पुत्र भीखसिंह जाति राजपूत सा0 भीनमाल तह0 भीनमाल जिला-जालोर
2. क्या आवेदक अनुसूचित जाति/जनजाति का सदस्य है :-	नहीं
3. संपरिवर्तन भूमि का ब्योरा (क) ग्राम तहसील का नाम (ख)भूमि का खसरा संख्या और क्षेत्रफल (हैक्टेयर में) :- (ग) संपरिवर्तन योग्य क्षेत्रफल:-	ग्राम रामसीन तहसील जसवंतपुरा खसरा नम्बर 1459 रकबा 0.7125 हैक्टेयर अर्थात 7125वर्गमीटर 0.6720 है0 अर्थात 6720 वर्गमीटर
4. संपरिवर्तन का प्रयोजन :-	संस्थागत (शैक्षणिक) प्रयोजनार्थ
5. संपरिवर्तन पर देय प्रभार	5.99 रूपये प्रतिवर्गमीटर
6. चालान की संख्या तथा तारीख सहित जमा कराई गई प्रीमियम की रकम :-	चालान नम्बर 33103635 दिनांक 4.9.2019 रु. 33600/- जमा दिनांक 4.9.2019, चालान नम्बर 33246375 दिनांक 9.9.2019 रु. 6,653/- जमा दिनांक 11.9.2019
7. चालान की संख्या तथा तारीख सहित, यदि कोई हो, की जमा कारायी गई रकम :-	चालान नम्बर 33103635 दिनांक 4.9.2019 रु. 33600/- जमा दिनांक 4.9.2019, चालान नम्बर 33246375 दिनांक 9.9.2019 रु. 6,653/- जमा दिनांक 11.9.2019
8. शास्ती/पेनल्टी, यदि कोई हो, तो जमा कराई गई रकम, चालान नं. व दिनांक(1115 वर्गमीटर निर्माण शास्ती)	चालान नम्बर 33246289 दिनांक 9.9.2019 रु. 11637/- जमा दिनांक 11.9.2019, चालान नम्बर 33103961 दिनांक 4.9.2019 रु. 8400/- जमा दिनांक 4.9.2019
9. चालान की संख्या तथा तारीख सहित ब्याज, यदि कोई हो, की जमा कराई गयी रकम :-	नहीं
10. क्या आदेश नियमितिकरण के लिए नियम 13 के अधीन जारी किया गया है :-	नहीं
11. अन्य विशिष्टिया यदि कोई हो :-	संपरिवर्तन शुल्क पर देय स्टाम्प शुल्क व अधिभार राशि जरिये चालान नं. 33247071 दिनांक 9.9.2019 रु. 1500 जमा दिनांक 11.9.2019

उपखण्ड अधिकारी,
जसवंतपुरा (जालोर)



12. उपर्युक्त संपरिवर्तन आदेश निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा :-

1. संस्थागत (शैक्षणिक) प्रयोजन के लिए संपरिवर्तित भूमि के किसी भाग का अन्य किसी अकृषिक प्रयोजन के लिए भूमि का उपयोग विहित प्राधिकार से विधि - मान्य अनुज्ञा प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।
2. यदि आवेदन इस आदेश के जारी होने की तारीख से 5 वर्ष की कालवधि के भीतर संपरिवर्तन प्रयोजन के लिए भूमि का उपयोग करने में विफल रहता है तो अनुज्ञा प्रत्याहृत ली जायेगी और आवेदक द्वारा जमा कराया गया प्रीमियम धन समपहृत हो जायेगा।
3. इण्डियन रोड कांग्रेस द्वारा निर्धारित माप-दण्डानुसार सड़क के मध्य निर्धारित दूरी के अंदर किसी भी प्रकार का निर्माण नहीं करवायेगा तथा न ही किसी अन्य को किसी प्रकार से हस्तान्तरण कर निर्माण करवायेगा।
4. नियम- 4 में यथा वर्णित भूमि का उपयोग अकृषिक प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।
5. आडिट आक्षेप अथवा गणना संबन्धि त्रुटि होने के कारण यदि अतिरिक्त संपरिवर्तन शुल्क यदि वसूलनीय पाया जाता है तो आवेदक राजकोष में जमा करवाने हेतु बाध्य होगा, अन्यथा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत वसूली कार्यवाही की जायेगी।
6. आवेदक द्वारा प्रस्तुत ब्लू प्रिंट नक्शा अनुसार ही निर्माण कार्य करना होगा व ब्लू प्रिंट नक्शा इस आदेश का मुख्य भाग है।
7. आवेदक द्वारा निर्धारित फॉर्म जी0 के अनुसार प्लान का अनुमोदन करवाना होगा व विद्वान् जी0 के बिंदु सं0 1 से 8 तक की पालना सुनिश्चित करनी होगी।




उपसचिव अधिकारी,
जसवंतपुरा (जालोर)


क्रमांक/सं/17/359-64

दिनांक: 12.9.19

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. श्रीमान जिला कलेक्टर (राजस्व) महोदय, जालोर
2. तहसीलदार जसवंतपुरा को आदेश में वर्णित समस्त शर्तों की पालना करवाया जाना सुनिश्चित करने एवं नियमान्तर्गत तरमीम एवं अमल दरामद करवाने हेतु
3. सरपंच ग्राम पंचायत रामसीन तहसील जसवंतपुरा
4. पटवारी हल्का रामसीन तहसील जसवंतपुरा
5. आवेदक ग्रामोत्थान सेवा संस्थान भीनमाल जिला-जालोर जरिये सचिव श्री शैतानसिंह पुत्र भीखसिंह जाति राजपूत सा0 भीनमाल
6. गार्ड पत्रावली।




उपसचिव अधिकारी,
जसवंतपुरा (जालोर)



GOVERNMENT OF RAJASTHAN
REVENUE DEPARTMENT

Certificate Ref. No: LC/2024-25/208896

Date: 09-01-2025

FORM-B

[See Rule 9(3),(4) and (6)]

Office of Prescribed Authority: **SUB DIVISIONAL OFFICER, JASWANTPURA (JALORE)**
CONVERSION ORDER

On the application of **GRAMOTTHAN SEVA SANSTHAN BHINMAL-JIRAYE SECRETARY-SHAITAN SINGH CHOUHAN S/O BHIKH SINGH JI** of village **RAMSEEN** Tehsil **JASWANTPURA**, agricultural land held by him in his khatedari tenancy is hereby converted for a non-agricultural purpose under rule 9 of the Rajasthan Land Revenue (Conversion of Agricultural Land for Non-Agricultural in Rural Areas) Rules, 2007, the particulars of which are given as under:

S.No.	Name of Applicant Khatedar/Tenants:	Father's/ Husabnd's Name:	Social Category (SC/ST/GEN/OBC/etc..)	Complete Address
1	GRAMOTTHAN SEVA SANSTHAN BHINMAL-JIRAYE SECRETARY-SHAITAN SINGH CHOUHAN	BHIKH SINGH JI	GENERAL	MAHAVEER,NAGAR,BHINMAL,TEHSIL,BHINMA,JALOR,343029

1. Details of the Land converted:

- (a) Name of the village/Gram Panchayat/Tehsil: **RAMSEEN/RAMSEEN/JASWANTPURA**
(b) Khasra No. of the land: **6208/6179,6210/6181**
(c) Area of each Khasra No. (in square meter): **14450,150**
(d) Area converted of each Khasra No. (in square meter): **9850,150**
(e) Area converted (in sq. meter): **10000**

2. Purpose of Conversion: **INSTITUTIONAL PURPOSE**

3. Conversion type (Sub Category): **GRAMOTTHAN SEVA SANSTHAN BHINMAL -INSTITUTIONAL / EDUCATIONAL PURPOSE**

4. Rate of conversion charges payable (₹): **8.48/-**

5. Premium deposited (₹): **84800/-**

- (a) Advance Amount of premium deposited (₹) with date and no. of challan: **500/-, 31/12/2024, 24650164963**
(b) Remaining Amount of premium deposited (₹) with date and no. of challan: **84300/-, 09/01/2025, 25651790577**

6. Amount of penalty deposited (₹), if any, with date and no. of challan: **0/-**

7. Amount of interest deposited (₹), if any, with date and no. of challan: **0/-**

8. Whether the order issued under Rule 13 for regularization: **NO**



Signature valid

Digitally Signed by RAM LAL MEENA12
Designation : SNB DIVISIONAL OFFICER
JASWANTPURA
Date: 2025.01.09 16:23:47 IST
Reason: Approved
Location: JALORE

Terms and Conditions

The above conversion order shall be subject to the following conditions: -

- i. The land converted for the above non-agricultural purpose shall not be used for any other non-agricultural purpose, without obtaining prior permission of the Prescribed Authority.
- ii. If the applicant falls to use the land for the converted purpose within a period or extended period, if any, specified in rule 14 of these rules, the permission shall be withdrawn and the premium money deposited by the applicant shall be forfeited.
- iii. No land as mentioned in rule 4 shall be used for any non-agricultural purpose.
- iv. No part of the land converted for public utility purpose shall be used for any other non-agricultural purpose without valid permission from the Prescribed Authority.

